अपीलार्थी पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान आवेदकगण के अधिवक्ता ने प्रारंभिक स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील आवेदकगण के अधिवक्ता ने प्रारंभिक खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्षों की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः मूलवाद में अभिलेख रिकॉर्ड मांगी नहीं लेकर आवेदकगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदकगण का प्रारंभिक अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत की सरहद में स्थित भूमि खाता 1139 रकबा 0.1400 है. 1167 रकबा 0.1600 है. 1175 रकबा 0.3400 है. 1177 रकबा 0.3400 है. 1190 रकबा 0.6700 है. 1197 रकबा 0.1700 है. 1807 रकबा 0.4800 है. 1808 रकबा 0.2300 है. 4093/1174 रकबा 0.1100 है. ~~रकबा~~ 4131/1167 रकबा 0.1600 है 4133/1198 रकबा 0.1000 है नाम से आवेदकगण को मौखिक स्थाई निषेधाज्ञा के मूलवाद कार्यवाही चलने तक पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

2/7
2017

पत्रावली आज वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर तलब की गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल दावे का निस्तारण दिनांक 05.06.2017 को हो चुका है इस कारण प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः इसे खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे का निस्तारण होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner